

**आबकारी नीति विषयक नियमावली-2025(त्रिवर्षीय के अंतर्गत)**  
**उत्तराखण्ड आबकारी देशी / विदेशी मदिरा दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन पत्र**  
**(वर्ष 2026-27 व 2027-28 द्विवर्षीय हेतु)**

जनपद का नाम	दुकान का प्रकार व कोड	दुकान का नाम	पंजीकरण क्रमांक एवं जिला आबकारी अधिकारी के हस्ताक्षर

**वित्तीय वर्ष 2026-27 (दिनांक 01.04.2026 से 31.03.2027) तथा वित्तीय वर्ष 2027-28**  
**(दिनांक 01.04.2027 से 31.03.2028) तक**

देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन (देशी शराब-5C) / विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन (विदेशी मदिरा-5D) के व्यवस्थापन हेतु आवेदन पत्र।  
 (मदिरा की फुटकर दुकान हेतु आबकारी नीति विषयक नियमावली-2025 में निर्धारित शर्तों के अनुसार उपयुक्त आवेदन पत्र)

**(क) निम्न विवरण आवेदक द्वारा स्वयं भरे जायेंगे:-**

1. फर्म / AOP / LLP / PVT. LTD. / कंपनी का नाम.....
2. आवेदक का नाम.....
3. पिता / पति का नाम.....
4. आयु .....
5. जन्म तिथि: दिवस / माह / वर्ष..... / ..... / .....
6. लिंग: पुरुष / महिला.....
7. स्थाई पता.....  
 मकान नम्बर.....  
 नगर / मौहल्ला / ग्राम / तोक.....  
 थाना / पटवारी पट्टी.....  
 तहसील / उप तहसील.....  
 जिला.....उत्तराखण्ड।  
 दूरभाष (लैण्ड लाइन नम्बर).....  
 मोबाईल नम्बर .....
- ई-मेल-.....
8. पैन नम्बर.....
9. आई०टी०आर० का विवरण.....
10. आधार कार्ड नम्बर .....
11. मदिरा दुकान का विवरण.....  
 मकान नम्बर.....  
 नगर / मौहल्ला / ग्राम / तोक.....  
 थाना / पटवारी पट्टी.....  
 तहसील / उप तहसील.....  
 जिला.....उत्तराखण्ड।  
 दूरभाष (लैण्ड लाइन नम्बर).....  
 मोबाईल नम्बर .....
- ई-मेल-.....

आवेदक का नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ
------------------------------------------------

(ख) निम्न विवरण सह आवेदक द्वारा स्वयं भरे जायेंगे:-

1. सह आवेदक का नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. आयु .....
4. जन्म तिथि: दिवस/माह/वर्ष..... / ..... / .....
5. लिंग:पुरुष/महिला.....
6. स्थाई पता.....  
मकान नम्बर.....  
नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक.....  
थाना/पटवारी पट्टी.....  
तहसील/उप तहसील.....  
जिला.....उत्तराखण्ड।  
दूरभाष (लैण्ड लाइन नम्बर).....  
मोबाईल नम्बर .....
- ई-मेल-.....
7. पैन नम्बर.....
8. आई०टी०आर० का विवरण.....
9. आधार कार्ड नम्बर .....
10. आधार कार्ड की छायाप्रति (यदि पूर्व में जमा न की गई है।)

कुल द्विवर्षीय राजस्व (2026-27+2027-28) =.....

वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु

1. कुल निर्धारित राजस्व:-  
(अंको में).....  
(शब्दों में).....
2. अनुज्ञापन शुल्क रूपये:-  
(अंको में).....  
(शब्दों में).....  
चालान संख्या व तिथि-
3. निर्धारित न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राशि रूपये:-  
(अंको में).....  
(शब्दों में).....

वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु

1. कुल निर्धारित राजस्व जिसमें व्यवस्थापन किया जाता है :-  
(अंको में).....  
(शब्दों में).....
2. अनुज्ञापन शुल्क रूपये:-  
(अंको में).....  
(शब्दों में).....  
चालान संख्या व तिथि-

सह आवेदक  
का नवीनतम  
स्वप्रमाणित  
फोटोग्राफ

3. निर्धारित न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राशि रूपये:-

(अंको में).....

(शब्दों में).....

वित्तीय वर्ष 2026-27 व 2027-28 हेतु

प्रोसेसिंग शुल्क :-

(अंको में).....

(शब्दों में).....

बैंक का नाम, ड्राफ्ट संख्या व तिथि-

धरोहर धनराशि (EMD)

(अंको में).....

(शब्दों में).....

बैंक का नाम, ड्राफ्ट संख्या व तिथि-

स्थान.....

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सतिथि)

आवेदक की प्रास्थिति

## आवेदक की घोषणा

मैं एतद द्वारा..... पुत्र/पत्नी/पुत्री.....  
..... सत्य निष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि आबकारी नीति विषयक नियमावली-2025 एवं सुसंगत प्रावधानों के अधीन द्विवर्षीय 2026-27 व 2027-28 के लिए आवंटन हेतु सहमत हूँ। यदि उपरोक्त विवरण असत्य या गलत पाया जाये तो मेरा आवंटन प्रार्थना पत्र निरस्त करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि उपरोक्त विवरण अनुज्ञापन जारी करने के उपरान्त असत्य या गलत पाया जाता है तो, मेरा अनुज्ञापन निरस्त करने योग्य होगा और साथ ही मेरी लाईसेन्स फीस एवं प्रतिभूति की धनराशि भी जप्त करने योग्य होगी। मैं इस तथ्य से भिन्न हूँ कि असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि दुकान आवंटन हेतु उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली-2025 के अन्तर्गत निर्धारित समय के भीतर आवश्यक प्रमाण पत्र जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में तथा निर्धारित धनराशि भी समयान्तर्गत जमा कर दूँगा/दूँगी। यदि वांछित धनराशि तथा प्रमाण पत्र जमा न करने की स्थिति में अनुज्ञापन को मेरे जोखिम पर निरस्त किया जाता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। उपरोक्त उल्लिखित तथ्य/विवरण मेरी जानकारी में पूर्णतः सही है।

स्थान.....

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सतिथि)

आवेदक का नाम बड़े अक्षरों में

नोट-

1. अस्ताक्षरित अथवा अंगूठे का निशान न होने पर आवेदन मान्य नहीं होगा।
2. जो लागू न हों, उसे काट दें।

## सह-आवेदक की घोषणा

मैं एतद द्वारा..... पुत्र/पत्नी/पुत्री.....  
..... सत्य निष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि आबकारी नीति विषयक नियमावली-2025 एवं सुसंगत प्रावधानों के अधीन द्विवर्षीय 2026-27 व 2027-28 के लिए आवंटन हेतु सहमत हूँ। यदि उपरोक्त विवरण असत्य या गलत पाया जाये तो मेरा आवंटन प्रार्थना पत्र निरस्त करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि उपरोक्त विवरण अनुज्ञापन जारी करने के उपरान्त असत्य या गलत पाया जाता है तो, मेरा अनुज्ञापन निरस्त करने योग्य होगा और साथ ही मेरी लाईसेन्स फीस एवं प्रतिभूति की धनराशि भी जप्त करने योग्य होगी। मैं इस तथ्य से भिन्न हूँ कि असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि दुकान आवंटन हेतु उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली-2025 के अन्तर्गत निर्धारित समय के भीतर आवश्यक प्रमाण पत्र जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में तथा निर्धारित धनराशि भी समयान्तर्गत जमा कर दूँगा/दूँगी। यदि वांछित धनराशि तथा प्रमाण पत्र जमा न करने की स्थिति में अनुज्ञापन को मेरे जोखिम पर निरस्त किया जाता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। उपरोक्त उल्लिखित तथ्य/विवरण मेरी जानकारी में पूर्णतः सही है।

स्थान.....

दिनांक.....

सहआवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सतिथि)

आवेदक का नाम बड़े अक्षरोंमें

नोट-

1. अस्ताक्षरित अथवा अंगूठे का निशान न होने पर आवेदन मान्य नहीं होगा।
2. जो लागू न हों, उसे काट दें।

(प्रार्थना पत्र प्राप्ति रसीद)

आवेदक श्री/श्रीमति/कुमारी.....पुत्र/पत्नी/पुत्री.....  
.....निवासी.....देशी मदिरा फुटकर  
बिक्री के अनुज्ञापन (सी०एल०-5C)/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन  
(एफ०एल०-5D ).....हेतु आवंटन के लिए  
उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली 2025 (त्रिवर्षीय) में निर्धारित प्रपत्रों व राजस्व  
के साथ प्राप्त किया गया।

दिनांक.....

कार्यालय की सील

जिला आबकारी अधिकारी द्वारा

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर व समय.....

**आबकारी नीति विषयक नियमावली-2025(त्रिवर्षीय के अंतर्गत)**  
**उत्तराखण्ड आबकारी देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन पत्र**  
**(वर्ष 2026-27 व 2027-28 द्विवर्षीय हेतु)**

**आवेदक हेतु शपथ पत्र**  
**(100 रुपये के Non Judicial Stamp पर)**

आवेदक का नोटरी से  
प्रमाणित नवीनतम्  
फोटोग्राफ प्रस्तुत  
करना होगा

1. यह कि शपथकर्ता..... पुत्र/पुत्री/पत्नी.....  
आयु.....अनुज्ञापन संख्या/देशी/विदेशी मदिरा दुकान  
.....जनपद.....का वर्ष 2026-27 व 2027-28 हेतु  
आवेदक है।

**पता वर्तमान निवास**

मकान नम्बर.....नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक.....  
.....थाना/पटवारी पट्टी.....तहसील/उपतहसील.....  
.....जिला.....

**पता स्थाई निवास**

मकान नम्बर.....नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक.....  
.....थाना/पटवारी पट्टी.....तहसील/उपतहसील.....  
.....जिला.....शपथ पूर्वक अभिकथन करता/करती हूँ कि :-

2. यह कि शपथकर्ता सी0एल0-5C (देशी शराब) एवं एफ0एल0-5D (विदेशी मदिरा) की फुटकर बिक्री की दुकान .....जिला..... के अनुज्ञापन वर्ष 2026-27 (दिनांक 01.04.2026 से 31.03.2027 तक) तथा अनुज्ञापन वर्ष 2027-28 (दिनांक 01.04.2027 से 31.03.2028 तक) हेतु आवंटन कराने हेतु उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025 में दी गयी शर्तों के आधार पर सहमत हूँ।
3. यह कि शपथकर्ता ने लाईसेन्स की शर्तों और प्रतिबन्धों को पूरी तरह से समझ लिया है और यदि आवेदित दुकान उसे आवंटित की जाती है तो वह नियमों, अनुज्ञापन की शर्तों और लाईसेन्स प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले अन्य निर्देशों का पालन करेगा/करेगी।
4. उक्त अनुज्ञापन के लिये शपथकर्ता आवश्यक सभी अर्हतायें रखता है।
5. यह कि शपथकर्ता भारत का नागरिक है/उत्तराखण्ड का स्थाई निवासी है। आवेदक तहसील..... जिला.....का स्थाई निवासी है।
6. यह कि शपथकर्ता की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक है।
7. यह कि शपथकर्ता पर न तो सरकारी अथवा लोक देयों का बकाया है, न ही उनका नाम काली सूची में है और न ही उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत उन्हें आबकारी लाईसेन्स धारण करने से विवर्जित किया गया है।

8. यह कि शपथकर्ता व उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उन्हें उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) अथवा स्वापक एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 अथवा तत्समय लागू किसी अन्य विधि अथवा संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में दोषी नहीं पाया गया है।
9. यह कि शपथकर्ता को यदि देशी/विदेशी मदिरा दुकान आवंटित की जाती है तो शपथकर्ता द्वारा आबकारी नीति विषयक नियमावली-2025 में दिये गये समयान्तर्गत वांछित प्रमाण पत्र जमा कर देगा, यदि शपथकर्ता उक्त प्रमाण पत्र निर्धारित दिवस के भीतर जमा नहीं कर पाया तो शपथकर्ता के जोखिम पर दुकान का आवंटन निरस्त किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी।
10. शपथकर्ता द्वारा मदिरा दुकान के आवंटन के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले प्रपत्र हैसियत, स्थाई निवास, चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आई०टी०आर० इत्यादि विवाद रहित है।
11. यह कि शपथकर्ता अपने उपरोक्त अनुज्ञापन का वर्ष 2026-27 व वर्ष 2027-28 हेतु आवंटन कराना चाहता है। यह कि शपथकर्ता के पास समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली 1968 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) के प्राविधानों व आबकारी नीति विषयक नियमावली-2025(त्रिवर्षीय) एवं आबकारी आयुक्त द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार दुकान खोलने के लिये उपयुक्त परिसर है/किराये पर उपयुक्त परिसर लेने की व्यवस्था है (जो लागू न हो उसे काट दिया जाय) प्रस्तावित परिसर किसी विधि या नियमों के प्रतिकूल नहीं बनाया गया है एवं रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट के प्राविधानों के अनुरूप है।
12. यह कि शपथकर्ता द्वारा किसी ऐसे विक्रेता अथवा प्रतिनिधि जिसकी अपराधिक पृष्ठभूमि हो अथवा जो संकामक या छूत की बीमारी से ग्रस्त हो अथवा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो को नियुक्त नहीं करेगा।
13. यह कि शपथकर्ता द्वारा दुकान आवंटन के बाद पावर आफ अटॉर्नी के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को दुकान संचालित करने हेतु अधिकृत नहीं करेगा।
14. यह कि शपथकर्ता ने पात्रता से सम्बंधित समस्त दस्तावेज कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जनपद..... में निर्धारित समयान्तर्गत जमा करने हेतु बाध्य है।
15. यह कि शपथकर्ता की उपरोक्त दुकान का वर्ष 2026-27 व वर्ष 2027-28 के समस्त राजस्व को जमा कराने के लिए प्रतिबद्ध है, आबकारी नीति 2025 के नियमों के अनुकूल अवशेष राजस्व जमा नहीं कराने की परिस्थिति में दुकान का निरस्तीकरण किये जाने में उसे कोई आपत्ति नहीं है।
16. यह कि शपथकर्ता वित्तीय वर्ष 2026-27 व वर्ष 2027-28 में निर्धारित राजस्व पर दुकान संचालन हेतु सहमत है और आबकारी नीति विषयक नियमावली-2025 अधिसूचना संख्या: 176/XXIII-1/2025-04(01)/2025 देहरादून दिनांक: 05, मार्च, 2025 के अनुपालन में पूर्ण निष्ठा से दुकान/अनुज्ञापन का संचालन करेगा और नियमों के उल्लंघन एवं राजस्व सम्बन्धित अनियमितता नहीं करेगा जिससे कि अनुज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न हो।
17. यह कि नियमानुसार निर्धारित समयसीमा में राजस्व/एम०जी०डी०, प्रतिभूतियों को समय से जमा नहीं करने के कारण दुकान निरस्त होने की दशा में जब्त कर ली जाए।
18. यह कि शपथकर्ता संयुक्त प्रांत अधिनियम-1910 (यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित उत्तराखण्ड राज्य) एवं सम्बन्धित नियमों, आदेशों तथा आबकारी नीति वर्ष 2025 को भली भाँति समझ लिया है। शपथकर्ता आबकारी विभाग द्वारा समय-समय पर दिए गए आदेशों/निर्देशों का पालन करेगा। शपथकर्ता वर्ष 2026-27 व वर्ष 2027-28 में फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन नियमावली का पालन करेगा और नियमावली के किसी प्राविधान का उल्लंघन पाए जाने पर उसका अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाए।
19. यह कि शपथकर्ता वर्ष 2026-27 व वर्ष 2027-28 हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क (प्रोसेसिंग फीस) निर्धारित वार्षिक राजस्व की जानकारी भली-भाँति प्राप्त कर ली है तथा उक्त के सम्बन्ध में जारी अद्यतन निर्देशों का पालन करेगा।

20. यह कि शपथकर्ता अपने बैंक खाते/फर्म के खाते से समस्त राजस्व जमा करेगा और भविष्य में यदि कोई त्रुटि के कारण भुगतान (यदि कोई हो तो) वह उक्त खाते में ही प्राप्त करने पर सहमत है।

21. यह कि शपथकर्ता को मदिरा दुकान आवंटित होने के उपरांत आवंटन की औपचारिकताओं को निर्धारित समय में पूर्ण करेगा अन्यथा की स्थिति में दुकान का आवंटन निरस्त कर दिया जाए।

उपरोक्त क्रमांक 1 से लेकर 21 तक दी गयी सूचनाएँ सही एवं सत्य है, मेरे द्वारा कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।

(जो लागू न हो, काट दिया जाये)

स्थान.....

दिनांक.....समय.....

शपथकर्ता

पब्लिक नोटेरी का नाम और मोहर

स्थान.....दिनांक.....

**आबकारी नीति विषयक नियमावली-2025(त्रिवर्षीय के अंतर्गत)**  
**उत्तराखण्ड आबकारी देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन पत्र**  
**(वर्ष 2026-27 व 2027-28 द्विवर्षीय हेतु)**

**सह आवेदक हेतुशपथ पत्र**  
**(100रुपये के Non Judicial Stamp पर)**

सह आवेदकका नोटरी  
से प्रमाणित नवीनतम  
फोटोग्राफ प्रस्तुत  
करना होगा

1. यह कि शपथकर्ता..... पुत्र/पुत्री/पत्नी.....  
आयु.....अनुज्ञापन संख्या/देशी/विदेशी मदिरा दुकान  
.....जनपद.....का वर्ष 2026-27 व 2027-28 हेतु सह  
आवेदक है।

**पता वर्तमान निवास**

मकान नम्बर.....नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक.....  
.....थाना/पटवारी पट्टी.....तहसील/उपतहसील.....  
.....जिला.....

**पता स्थाई निवास**

मकान नम्बर.....नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक.....  
.....थाना/पटवारी पट्टी.....तहसील/उपतहसील.....  
.....जिला.....शपथ पूर्वक अभिकथन करता/करती हूँ कि :-

2. यह कि शपथकर्ता सी0एल0-5C (देशी शराब) एवं एफ0एल0-5D (विदेशी मदिरा) की फुटकर बिक्री की दुकान .....जिला..... के अनुज्ञापन वर्ष 2026-27 (दिनांक 01.04.2026 से 31.03.2027 तक) तथा अनुज्ञापन वर्ष 2027-28 (दिनांक 01.04.2027 से 31.03.2028 तक) हेतु आवंटन कराने हेतु उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025 में दी गयी शर्तों के आधार पर सहमत हूँ।
3. यह कि शपथकर्ता ने लाईसेन्स की शर्तों और प्रतिबन्धों को पूरी तरह से समझ लिया है और यदि आवेदित दुकान उसे आवंटित की जाती है तो वह नियमों, अनुज्ञापन की शर्तों और लाईसेन्स प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले अन्य निर्देशों का पालन करेगा/करेगी।
4. उक्त अनुज्ञापन के लिये शपथकर्ता आवश्यक सभी अर्हतायें रखता है।  
यह कि शपथकर्ता भारत का नागरिक है/उत्तराखण्ड का स्थाई निवासी है। आवेदक तहसील.....  
.....जिला.....का स्थाई निवासी है।
5. यह कि शपथकर्ता की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक है।
6. यह कि शपथकर्ता पर न तो सरकारी अथवा लोक देयों का बकाया है, न ही उनका नाम कालीसूची में है और न ही उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम-1910 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत उन्हें आबकारी लाईसेन्स धारण करने से विवर्जित किया गया है।

7. यह कि शपथकर्ता व उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उन्हें उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम-1910 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) अथवा स्वापक एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम-1985 अथवा तत्समय लागू किसी अन्य विधि अथवा संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में दोषी नहीं पाया गया है।
8. यह कि शपथकर्ता को यदि देशी/विदेशी मदिरा दुकान आवंटित की जाती है तो शपथकर्ता द्वारा आबकारी नीति विषयक नियमावली-2025 (त्रिवर्षीय) में दिये गये समयान्तर्गत वांछित प्रमाण पत्र जमा कर देगा, यदि शपथकर्ता उक्त प्रमाण पत्र निर्धारित दिवस के भीतर जमा नहीं कर पाया तो शपथकर्ता के जोखिम पर दुकान का आवंटन निरस्त किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी।
9. शपथकर्ता द्वारा मदिरा दुकान के आवंटन के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले प्रपत्र हैसियत, स्थाई निवास, चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आई०टी०आर० इत्यादि विवाद रहित है।
10. यह कि शपथकर्ता अपने उपरोक्त अनुज्ञापन का वर्ष 2026-27व वर्ष 2027-28 हेतु आवंटन कराना चाहता है। यह कि शपथकर्ता के पास समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली 1968 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) के प्राविधानों व आबकारी नीति विषयक नियमावली-2025 (त्रिवर्षीय) एवं आबकारी आयुक्त द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार दुकान खोलने के लिये उपयुक्त परिसर है/किराये पर उपयुक्त परिसर लेने की व्यवस्था है (जो लागू न हो उसे काट दिया जाय) प्रस्तावित परिसर किसी विधि या नियमों के प्रतिकूल नहीं बनाया गया है एवं रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट के प्राविधानों के अनुरूप है।
11. यह कि शपथकर्ता द्वारा किसी ऐसे विक्रेता अथवा प्रतिनिधि जिसकी अपराधिक पृष्ठभूमि हो अथवा जो संकामक या छूत की बीमारी से ग्रस्त हो अथवा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो को नियुक्त नहीं करेगा।
12. यह कि शपथकर्ता द्वारा दुकान आवंटन के बाद पावर आफ अटार्नी के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को दुकान संचालित करने हेतु अधिकृत नहीं करेगा।
13. यह कि शपथकर्ता ने पात्रता से सम्बंधित समस्त दस्तावेज कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जनपद..... में निर्धारित समयान्तर्गत जमा करने हेतु बाध्य है।
14. यह कि शपथकर्ता की उपरोक्त दुकान कावर्ष 2026-27व वर्ष 2027-28के समस्त राजस्व को जमा कराने के लिए प्रतिबद्ध है, आबकारी नीति2025 के नियमों के अनुकूल अवशेष राजस्व जमा नहीं कराने की परिस्थिति में दुकान का निरस्तीकरण किये जाने में उसे कोई आपत्ति नहीं है।
15. यह कि शपथकर्ता वित्तीय वर्ष 2026-27व वर्ष 2027-28में निर्धारित राजस्व पर दुकान संचालन हेतु सहमत है और प्रख्यापित आबकारी नीतिविषयक नियमावली-2025 (त्रिवर्षीय) अधिसूचना संख्या: 176/XXIII-1/2025-04 (01)/2025 देहरादून दिनांक: 05, मार्च, 2025 के अनुपालन में पूर्ण निष्ठा से दुकान/अनुज्ञापन का संचालन करेगा और नियमों के उल्लंघन एवं राजस्व सम्बन्धित अनियमितता नहीं करेगा जिससे कि अनुज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न हो।
16. यह कि नियमानुसार निर्धारित समय सीमा में राजस्व/एम०जी०डी०, प्रतिभूतियों को समय से जमा नहीं करने के कारण दुकान निरस्त होने की दशा में जब्त कर ली जाए।
17. यह कि शपथकर्ता संयुक्त प्रांत अधिनियम-1910 (यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित उत्तराखण्ड राज्य) एवं सम्बन्धित नियमों, आदेशों तथा आबकारी नीति वर्ष 2025 को भली भाँति समझ लिया है। शपथकर्ता आबकारी विभाग द्वारा समय-समय पर दिए गए आदेशों/निर्देशों का पालन करेगा। शपथकर्ता वर्ष 2026-27व वर्ष 2027-28 में फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन नियमावली का पालन करेगा और नियमावली के किसी प्राविधान का उल्लंघन पाए जाने पर उसका अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाए।
18. यह कि शपथकर्ता वर्ष 2026-27व वर्ष 2027-28हेतु निर्धारित आवंटन शुल्क एवं आवेदन शुल्क (प्रोसेसिंग फीस), निर्धारितवार्षिक राजस्व की जानकारी भली-भाँति प्राप्त कर ली है तथा उक्त के सम्बन्ध में जारी अद्यतन निर्देशों का पालन करेगा।

19. यह कि शपथकर्ता अपने बैंक खाते/फर्म के खाते से समस्त राजस्व जमा करेगा और भविष्य में यदि कोई त्रुटि के कारण भुगतान (यदि कोई हो तो) वह उक्त खाते में ही प्राप्त करने पर सहमत है।

20. यह कि शपथकर्ता को मदिरा दुकान आवंटित होने के उपरांत आवंटन की औपचारिकताओं को निर्धारित समय में पूर्ण करेगा अन्यथा की स्थिति में दुकान का आवंटन निरस्त कर दिया जाए।  
उपरोक्त क्रमांक 1 से लेकर 20 तक दी गयी सूचनाएँ सही एवं सत्य है, मेरे द्वारा कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।

(जो लागू न हो, काट दिया जाये)

स्थान.....

दिनांक.....समय.....

शपथकर्ता

पब्लिक नोटेरी का नाम और मोहर

स्थान.....दिनांक.....